उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-11/2017/723/37-1-2017-03(04)/2017

लखनऊः दिनांक 19 मई, 2017

<u>कार्यालय-आदेश</u>

डा0 सत्येन्द्र सिंह, चिकित्साधिकारी, शोभवापुर, जनपद रायबरेली, जिनके विरूद्ध दिनांक 13-12-2014 से अनाधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित रहने आदि आरोपों के लिये अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित (Contemplated) है, को एतदद्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

2- निलम्बन की अवधि में डा0 सत्येन्द्र सिंह को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड- 2, भाग- 2 से 4 के मूल नियम- 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मँहगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई मँहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मँहगाई भत्ता अथवा मँहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन अवधि में इस शर्त पर देय होगें, जब इसका समाधान हो जाये कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।

3- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि डा0 सिंह इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, वृत्ति व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

4- डा0 सत्येन्द्र सिंह निलम्बन की अवधि में निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन निदेशालय, लखनऊ के कार्यालय से सम्बद्ध रहेगें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,

प्रमुख सचिव।

डा0 सत्येन्द्र सिंह,

पशु चिकित्साधिकारी,

पशु चिकित्सालय, शोभवापुर, जनपद रायबरेली।

<u>संख्या-11/2017/723(1)/37-1-2017, तददिनांक,</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को एक अतिरिक्त प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इस आदेश की प्रति सम्बन्धित अधिकारी को तामील कराकर तामीला की सूचना शासन को 03 दिन में उपलब्ध करायें।

2- गार्ड फाइल।

<u>संलग्नक-यथोक्त</u>

आज्ञा से,

जे0पी0 त्रिवेदी

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।